संख्या- 22/2021/1216/86-2021-1(216)/93

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब,

सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 11 अक्टूबर, 2021

विषयः-ईट-भट्ठों के संचालन पर विनियमन शुल्क (Regulating Fees) (ईंट भट्ठा सत्र, 2021-22) लिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ईट भट्ठा सत्र 2021-22 के लिए ईट भट्ठा मालिकों से पायों के आधार पर विनियमन शुल्क (Regulating Fees) निम्नानुसार लिये जाने का निर्णय लिया गया है :-

1. विनियमन शुल्क (Regulating Fees) ईट-भट्ठा सत्र 2021-22 (01 अक्टूबर से 30 सितम्बर तक) के लिए मान्य होगा।

2. ईट-भट्ठा सत्र के लिए विनियमन शुल्क (Regulating Fees) विभिन्न श्रेणियों (श्रेणी 'अ', 'ब', 'स') के जनपदों के लिए पायों की संख्या के आधार पर निर्धारित निम्नलिखित तालिका के अनुसार देय होगा :-

पायों की संख्या	श्रेणी 'अ' के जनपदों के लिए निर्धारित विनियमन शुल्क (रू0) में		श्रेणी 'ब' के जनपदों के लिए निर्धारित विनियमन शुल्क (रू0) में		श्रेणी 'स' के जनपदों के लिए निर्धारित विनियमन शुल्क (रू0) में	
	साधारण भट्ठे	जिग-जैग भट्ठे	साधारण भट्ठे	जिग-जैग भट्ठे	साधारण भट्ठे	जिग-जैग भट्ठे
10	-	1,48,500	-	1,21,500	-	94,500
11	-	1,59,300	-	1,32,300	-	1,05,300
12	-	1,70,100	-	1,43,100	-	1,16,100
13	-	1,80,900	-	1,53,900	-	1,26,900
14	-	1,91,700	-	1,64,700	-	1,37,700
15	1,21,500	2,02,500	94,500	1,75,500	67,500	1,48,500
16	1,26,900	2,13,300	99,900	1,86,300	72,900	1,59,300
17	1,32,300	2,24,100	1,05,300	1,97,100	78,300	1,70,100
18	1,37,700	2,34,900	1,10,700	2,07,900	83,700	1,80,900
19	1,43,100	2,45,700	1,16,100	2,18,700	89,100	1,91,700
20	1,48,500	2,56,500	1,21,500	2,29,500	94,500	2,02,500
21	1,53,900	2,67,300	1,26,900	2,40,300	99,900	2,13,300
22	1,59,300	2,78,100	1,32,300	2,51,100	1,05,300	2,24,100
23	1,64,700	2,88,900	1,37,700	2,61,900	1,10,700	2,34,900
24	1,70,100	-	1,43,100	-	1,16,100	-
25	1,75,500	-	1,48,500	-	1,21,500	-
26	1,80,900	-	1,53,900	-	1,26,900	-
27	1,86,300	-	1,59,300	-	1,32,300	-
28	1,91,700	-	1,64,700	-	1,37,700	-
29	1,97,100	-	1,70,100	-	1,43,100	-
30	2,02,500	-	1,75,500	-	1,48,500	-
31	2,07,900	-	1,80,900	-	1,53,900	-
32	2,13,300	-	1,86,300	-	1,59,300	-
33	2,18,700	-	1,91,700	-	1,64,700	-
34	2,24,100	-	1,97,100	-	1,70,100	-
35	2,29,500	-	2,02,500	-	1,75,500	-
36	2,34,900	-	2,07,900	-	1,80,900	-
37	2,40,300	-	2,13,300	-	1,86,300	-
38	2,45,700	-	2,18,700	-	1,91,700	-
39	2,51,100	-	2,24,100	-	1,97,100	-
40	2,56,500	-	2,29,500	-	2,02,500	-
41	2,61,900	-	2,34,900	-	2,07,900	-
42	2,67,300	-	2,40,300	-	2,13,300	-
43	2,72,700	-	2,45,700	-	2,18,700	-
44	2,78,100	-	2,51,100	-	2,24,100	-
45	2,83,500	-	2,56,500	-	2,29,500	-
46	2,88,900	-	2,61,900	-	2,34,900	-
47	2,94,300	-	2,67,300	-	2,40,300	-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. ईट भट्ठा स्वामी अपने ईट-भट्ठों में पायों की संख्या के आधार पर निर्धारित विनियमन शुल्क (Regulating Fees) भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के लेखा शीर्षक 0853-अलौह'' खनन तथा धातुकर्म उद्योग-102 खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क'' में अग्रिम रूप से आनलाईन भी जमा कर सकेगा। आफलाईन माध्यम से सीधे बैंक में जमा करने की स्थिति में ईट भट्ठा स्वामी पोर्टल पर चालान संख्या व दिनांक, चालान की धनराशि अपने भट्ठे के सम्मुख अंकित करेगा तथा चालान की प्रति अपलोड करेगा जिसे संबंधित खान अधिकारी सत्यापन कर पोर्टल पर वेरीफाई करेगें।

4. विनियमन शुल्क (Regulating Fees) जमा किये जाने के उपरान्त ही ईट भट्ठे का संचालन किया जायेगा। देय धनराशि जमा किये बिना संचालित ईट भट्ठो के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

5. ईट भट्ठा स्वामी द्वारा ईट मिट्टी के परिवहन एवं भण्डारण के समय जांचकर्ता को आफलाईन/आनलाईन जमा चालान की प्रति दिखाई जायेगी।

6. ईट बनाने के काम आने वाली पलोथन मिट्टी (बलुई मिट्टी) के लिए प्रस्तावक को ईट-मिट्टी के लिए देय विनियमन शुल्क की धनराशि के अतिरिक्त उस पर 10 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी।

7. साधारण ईट-भट्ठों के पाये जो 9 इंच मानक के स्थापित थे, में से कुछ ईट-भट्ठो को जिग-जैग भट्ठे में परिवर्तित कर 18 इंच के पाये बनाकर भट्ठा संचालन का कार्य किया जा रहा है, ऐसे भट्ठो में जिग-जैग के पायो के आधार पर विनियमन शुल्क की गणना की जायेगी।

8. ईट-भट्ठा स्वामी द्वारा, ईट-भट्ठा संचालन के सम्बन्ध में निर्धारित आवेदन-पत्र (प्रति संलग्न) के साथ आवेदन शुल्क रू0-2000/- एवं पायों की संख्या के आधार पर बिन्दु सं0-2 में उल्लिखित देय विनियमन शुल्क (Regulating Fees) एवं बिन्दु संख्या-6 में उल्लिखित पलोथन की धनराशि अग्रिम रूप से जमा कर साक्ष्य सहित जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

9. ईट-भट्ठा स्वामी को आवेदन-पत्र के साथ ईट-भट्ठे के सम्बन्ध में रायल्टी/विनियमन शुल्क बकाया न होने का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10. ईट-भट्ठे का संचालन अग्रिम रूप से विनियमन शुल्क (Regulating Fees) जमा करने के पश्चात ही किया जायेगा।

11. किसी भट्ठे में पायों की संख्या, ईट भट्ठा स्वामियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में घोषित पायों की संख्या से अधिक पायी जाती है, तो ऐसे ईट-भट्ठों के वास्तविक पायो के आधार पर नियमानुसार राजस्व क्षति वसूल की जायेगी।

12. ईट भट्ठा स्वामी द्वारा ईट भट्ठे के पायों में परिवर्तन की सूचना 30 दिनों के अन्दर संबंधित जिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।

13. ईट भट्ठा स्वामियों पर उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम-21, 41(ड़) एवं 58(2) के प्राविधान लागू होगें।

14. जनपद में कार्यरत भट्ठों की सूचना जनपद के माल एवं सेवा कर विभाग (G.S.T.), जिला पंचायत, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा तहसील के माध्यम से प्राप्त की जायेगी, जिसके आधार पर वास्तविक कार्यरत भट्ठों से पायों की संख्या के अनुसार निर्धारित विनियमन शुल्क आदि जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

15. वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण प्रदेश में निर्माण कार्य के साथ-साथ ईट-भट्ठा व्यवसाय भी प्रभावित हुआ है। आर्थिक मन्दी के कारण कतिपय ईट-भट्ठा स्वामी भट्ठा वर्ष 2020-21 का विनियमन शुल्क जमा नहीं कर पाये हैं, उन्हे ब्याज रहित विनियमन शुल्क जमा किये जाने हेतु दिनांक 31.12.2021 तक का समय प्रदान किया जाए।

16. उक्त व्यवस्था मा0 न्यायालयों, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अधीन होगी।

कृपया उपरोक्तानुसार ईट-भट्ठा सत्र 2021-22 में ईट-भट्ठों के संचालन के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने तथा कृत कार्यवाही से शासन तथा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0, लखनऊ को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः- यथोपरि।

भवदीया,
(डा0 रोशन जैकब)
सचिव।

संख्या:1216 (1)/86-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी' के अवलोकनार्थ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पंत्राक-531/एम-ईट-भट्ठा/2018-19, दिनांक 24.09.2021 के सन्दर्भ में।
4. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला परिषद्, उत्तर प्रदेश।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. समस्त जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

,(हृदय नारायण सिंह यादव)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ईट–भट्ठा संचालन आवेदन–पत्र

स्थान.....दिनांक.....20.....समय.....बजे.....दिनांक.....
..... को प्राप्त हुआ

पाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

सेवा में,

.....
.....
.....

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता हूँ/करते हैं कि ईट–भट्ठा संचालन के सम्बन्ध में निम्नानुसार आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर रहे है :–

(2) इस आवेदन–पत्र के सम्बन्ध में देय शुल्क रू0 2,000/– एवं विनियमन शुल्क (Regulating Fees) रू0 ....., चा0 सं0–..... दिनांक. ..... द्वारा जमा कर दिया गया है। विवरण संलग्नक के अनुसार

(3) अपेक्षित विवरण नीचे दिये गये हैं :–

I) प्रार्थी का नाम और पूरा पता.....

II) क्या प्रार्थी अशासकीय व्यक्ति/निजी कम्पनी/सार्वजनिक कम्पनी/फर्म या संघ है.....

III) यदि प्रार्थी

(क) व्यक्ति विशेष है तो उसकी राष्ट्रीयता

(ख) निजी कम्पनी है तो कम्पनी के सभी सदस्यों की राष्ट्रीयता और उसके निबंधन का स्थान

(ग) सार्वजनिक कम्पनी है तो निदेशकों की राष्ट्रीयता, भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा धृत अंश पूंजी का प्रतिशत तथा उसके निगमन का स्थान

(घ) फर्म या संघ है तो फर्म के सभी भागीदारों या संघ के सभी सदस्यों की राष्ट्रीयता

(4) प्रार्थी का व्यवसाय या उसके कारोबार का प्रकार

(5) क्षेत्र का ब्यौरा :–

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल(हे0 में)

(6) ईट–भट्ठे के सम्बन्ध में बकाया न होने का शपथ–पत्र।

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिए गये विवरण ठीक हैं और मैं/हम कोई अन्य ब्यौरे देने को तैयार हूँ/हैं, जो आपके द्वारा अपेक्षित हैं।

स्थान.....
दिनांक.....

भवदीय

प्रार्थी के हस्ताक्षर

अवधेय :– यदि आवेदन–पत्र पर प्रार्थी के प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किये जायें तो अभिकरण पत्र (power of attorney) संलग्न किया जाना चाहिये।